न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुनील कुमार पीपलीवाल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 51/2025 दायर दिनांकः 03.06.2025

उनवान

1. धनराज उर्फ धन्नालाल आयु 55 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति धाकड़ निवासी मूण्डला तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मो.नं. 8290039080

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—

प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनाकः 30.10.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मूण्डला पटवार हल्का पटना तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 126 का ख.नं. 681 का रकबा 0.04 हे०, ख.नं. 682 का रकबा 0.14 हे0, ख.नं. 684 का रकबा 0.06 हे0, ख.नं. 694 का रकबा 0.54 हे०, ख.नं. 695 का रकबा 0.05 हे०, ख.नं. 759 का रकबा 1.45 हे0 कुल किता 6 का कुल रकबा 2.28 हेक्टर आराजी प्रार्थी के शामलाती खाते दर्ज स्थित है। इसी प्रकार ग्राम मूण्डला की आराजी खाता संख्या 127 का ख.नं. 882/1353 का रकबा 0.12 हे0, ख.नं. 883/1355 का रकबा 0.06 हे०, ख.नं. 904 का रकबा 3.80 हे0 कुल किता 3 का कुल रकबा 3.98 हे0 प्रार्थी के शामलाती खाते दर्ज स्थित है। प्रार्थना पत्र के साथ नवीन नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 एवं शिक्षा विभाग की टी.सी., भारत निर्वाचन फोटो पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा ग्राम पंचायत पटना द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 08/04/2025 की फोटो प्रतियां पेश है जो काबिल गौर है। प्रार्थी को परिवार वाले प्यार से धन्ना—धन्ना बोलते थे इस वजह

से प्रार्थी के पिता की मृत्यु होने के उपरान्त नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 126, 127 में प्रार्थी का नाम धन्नालाल दर्ज करवा दिया। जबकि प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेज शिक्षा विभाग की टी.सी., भारत निर्वाचन फोटो पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा ग्राम पंचायत पटना द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 08/04/2025 में सही नाम धनराज दर्ज है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम मूण्डला की आराजी खाता संख्या 126, 127 में दर्ज नाम धन्नालाल के स्थान पर प्रार्थी का नाम धनराज उर्फ धन्नालाल दुरस्त करवाया जाना सम्भव नही है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का सही नाम दर्ज नही होने की सूरत में प्रार्थी को राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ परिलाभो से वंचित होना पड़ेगा। जिसके फलस्वरूप प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी तथा जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही है। इस वजह से प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि राजस्व रिकॉर्ड ग्राम एवं माल मूण्डला की आराजी खाता संख्या 126, 127 में इन्द्राज दुरस्त किया जाकर धन्नालाल नाम दर्ज के स्थान पर प्रार्थी का नाम धनराज उर्फ धन्नालाल दर्ज किया जावे। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गलत नाम धन्नालाल के स्थान पर धनराज उर्फ धन्नालाल शुद्ध करने बाबत राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारां को रजिस्टर्ड नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा०दी० मियादी दो माह प्रेषित करवा दिया है लेकिन प्रार्थी किसान सम्मान निधि की मिलने वाली राशि से वंचित हो रहा है। इस वजह से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक प्रकृति का होने से माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण दिनांक 15/04/2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि प्राप्त करने बाबत ऑन लाइन करवाने गया तो प्रार्थी का जमाबन्दी खाता संख्या 126, 127 में आधार कार्ड से भिन्न नाम दर्ज होने से रजिस्ट्रेशन नही हो सका तथा अन्तिम बार दिनांक 02/06/2025 को राजस्थान सरकार को रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित करने पर भी प्रार्थी का नाम धनराज उर्फ धन्नालाल राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त नहीं करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी वाके ग्राम एवं माल मूण्डला तहसील अटरू जिला बारां में स्थित है जिसका क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर एवं अवधि मध्य पेश है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट बाबत इन्द्राज दुरस्ती प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम एवं माल मूण्डला की आराजी खाता संख्या 126, 127 में दर्ज प्रार्थी का नाम धन्नालाल के स्थान पर धनराज उर्फ धन्नालाल दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/2513 दिनांक 17.07.2025 को शामिल फाईल किया गया।

साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र Pw1 दिलकुश पुत्र धनराज उर्फ धन्नालाल जाति धाकड निवासी मूण्डला पेश किए गए तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मूण्डला पटवार हल्का सम्वत 2074–77 खाता संख्या 126, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मूण्डला पटवार हल्का पटना सम्वत 2074–77 खाता संख्या 127, टी0सी0 रा0उ0मा0वि0 मूण्डला दिनांक 15.04.2025, जाति प्रमाण पत्र धनराज दिनांक 04.08.2008, मतदाता पहचान पत्र, प्रशासक ग्राम पंचायत पटना प्रमाण पत्र दिनांक 08.04.2025, शपथ पत्र गवाहान व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मूण्डला में खात संख्या 126 किता 6 रकबा 2.28 है0 हिस्सा 1/2 एवं खाता संख्या 127 कुल किता 3 का रकबा 3.98 है0 हिस्सा 1/3 में प्रार्थी धन्नालाल पुत्र छीतरलाल जाति धाकड दर्ज है। ग्रामवासियों से पूछताछ के अनुसार धन्नालाल का बोलता नाम धन्नालाल व धनराज बताया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्यप्रार्थी तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल मूण्डला पटवार हल्का पटना तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 126 कुल किता 6 का कुल रकबा 2.28 है0 व ग्राम एवं माल मूण्डला पटवार हल्का पटना तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 127 कुल किता 3 का कुल रकबा 3.98 है0 आराजी में सह खातेदार धन्नालाल पुत्र छीतरलाल के स्थान पर धनराज उर्फ धन्नालाल पुत्र छीतरलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल मूण्डला पटवार हल्का पटना तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 126 कुल किता 6 का कुल रकबा 2.28 है0 व ग्राम एवं माल मूण्डला पटवार हल्का पटना तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 127 कुल किता 3 का कुल रकबा 3.98 है0 आराजी में सह खातेदार धन्नालाल पुत्र छीतरलाल के स्थान पर धनराज उर्फ धन्नालाल पुत्र छीतरलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अटरू को भी भिजवायी जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां